बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

<u>प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.03.2017 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा नियुक्त आयुक्त के राज्य सलाहकार श्री रूपेश एवं अन्य के साथ हुए बैठक की कार्यवाहीः–</u>

<u>उपस्थिति– संलग्न सूची के अनुसार।</u>

प्रधान सचिव द्वारा सर्वप्रथम पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक– 25.12.2016 में लिये गये निर्णय के संबंध में बिन्दुवार प्रगति की समीक्षा की गयी। आश्रय स्थल की प्रगति के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त आयुक्त के राज्य सलाहकार श्री रूपेश एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श के उपरान्त एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1. श्री रूपेश द्वारा अवगत कराया गया कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर पी.आई.एल. जिसमें उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त आयुक्त के राज्य सलाहकार के रूप में मनोनयन किया गया था उस वाद की अंतिम सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की जा चुकी है एवं अब वे राज्य सलाहकार के रूप में योजना की अनुश्रवन हेतु नहीं रहेंगें।

   (i) बैठक में उपस्थित पटना नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि मैक डॉवेल गोलम्बर स्थित 2 रैन बसेरों एवं सांइस कॉलेज के निकट स्थित 1 रैन बसेरा का जिर्णोधार कार्य लगभग समाप्त किया जा चुका है। उक्त दोनों आश्रय स्थल को होली के बाद प्रथम सप्ताह के अन्दर संचालन प्रारंभ कराने का निर्णय लिया गया।

   (ii) पटना नगर निगम के अधीन जिर्णोधार कार्य पूरा कराये गये आश्रय स्थल में से किसी एक आश्रय स्थल को श्री रूपेश को उनकी संस्था के माध्यम से प्रबंधन एवं प्रचालन हेतु चयन कर पटना नगर निगम को सूचित करने का अनुरोध प्रधान सचिव द्वारा किया गया। इस संबंध में सर्वसम्मति से सहमति बनी की एक आश्रय स्थल के संचालन हेतु पटना नगर निगम के द्वारा एक आश्रय स्थल के प्रबंधन एवं प्रचालन हेतु शुरूआती एक वर्ष को अनुबंध श्री रूपेश की संस्था से किया जाय।

   (iii) चीना कोठी रैन बसेरों के महिला लाभार्थियों हेतु अलग से शौचालय का निर्माण कराने के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा जानकारी दी गयी की उक्त शौचालय के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया जा चुका है जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा।

   (iv) श्री रूपेश एवं उनकी टीम द्वारा गया नगर निगम के अधीन आश्रय स्थलों के निरीक्षण के संबंध में जानकारी दी गयी। बताया गया कि कि नगर निगम, गया के अधीन संचालित आश्रय स्थलों के स्थिती बहुत की अच्छी है एवं सभी मूलभूत सुविधाएं भी वहाँ उपलब्ध करायी गयी है। चुँकि लाभार्थियों का ठहराव आश्रय स्थलों में अपेक्षाकृत कम है अतः इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता महसूस की गयी। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि, संबंधित सभी नगर निकायों को योजना के प्रचार प्रसार हेतु बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि के नजदीक बैनर/पोस्टर लगाने हेतु निर्देश जारी किया जाय।

(v) पटना नगर निगम के अधीन आश्रय विहीनों के अत्यधिक संख्या के मद्देनजर पटना नगर निगम के आयुक्त को अतिरिक्त आश्रय स्थल के निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की गयी। इस संबंध में पटना शहर के अन्तर्गत निर्मित फ्लाई ओवर के नीचे पटना नगर निगम को उपलब्ध कराये गये स्थलों पर आश्रय स्थल बनाये जाने की संभावना पर भी चर्चा की गयी। साथ ही आवश्यकता के अनुरूप संबंधित विभाग ऐसे स्थलों पर आश्रय स्थल निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, उक्त स्थलों पर भी आश्रय स्थल के निर्माण हेतु डी.पी.आर., प्राक्कलन इत्यादि तैयार कर पटना नगर निगम द्वारा विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

(vi) चुँकि DAY-NULM योजना का विस्तार राज्य के सभी नगर निकायों में किया जा चुका है अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, सभी नगर निगम एवं सभी नगर परिषदों को नये/अतिरिक्त आश्रय स्थल के निर्माण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेश जारी किया जाय।

(vii) राज्य योजना मद (नागरिक सुविधा) के अधीन पूर्व में स्वीकृत 10 आश्रय स्थलों के निर्माण की गति बहुत ही धीमी है अतः सर्वसम्मति से संबंधित सभी नगर निकायों को प्रधान सचिव स्तर से डी.ओ. पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाय कि यदि नगर निकाय आश्रय स्थल के निर्माण नहीं करा सकते तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि को विभाग को वापस कर दिया जाय।

(viii) आश्रय स्थलों के लाभार्थियों के लिए मासिक स्वास्थ्य शिविर के आयोजन हेतु स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ix) नगर निकायों को यह निदेश जारी करने का निर्णय लिया गया कि, आश्ररू स्थलों को प्रचालन एवं प्रबंधन स्वयं सहायता समूहों के ए.एल.ओ. के माध्यम से ही विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शिका के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

23/3/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक: 04/NULM-61(PF-1)/16/..... 781 दिनांक: 24/3/17

प्रतिलिपिः— श्री रूपेश, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त के राज्य सलाहकार/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/संबंधित सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/टीम लीडर, PIMC-NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।